(वाद संख्या–5041/18)

04.11.2020

परिवादी, शशिकान्त कुमार उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामला शशिकान्त कुमार, तत्कालीन कार्यालय सहायक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी, पटना (जिसे बाद में सोसाइटी के रूप में संबोधित किया जा रहा है) के दिनांक 01.12.2017 से लेकर उनके त्याग–पत्र देने की तिथि (04.01.2018) तक का मानदेय का भुगतान न किये जाने तथा सोसाइटी में कार्य किये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र न दिये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में सोसाइटी के उप निदेशक (प्रशासन) के प्रतिवेदनानुसार परिवादी श्री कुमार ने संविदा के आधार पर सोसाइटी मुख्यालय में 19.06.2013 को योगदान दिया था तथा दिनांक 04.01.2018 को उन्होंने पारिवारिक कारणवश अपना त्याग–पत्र समर्पित कर दिया। श्री कुमार को नवंबर, 2017 तक का मानदेय भुगतान किया जा चुका है। सोसाइटी के प्रतिवेदनानुसार श्री कुमार के दिनांक 01.12.2017 से दिनांक 04.01.2018 तक का मानदेय भुगतान इस कारण नहीं किया गया है कि उनके द्वारा त्याग–पत्र दिये जाने के समय उनसे संबद्ध दस्तावेजों/संचिकाओं आदि की सूची कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

परिवादी की ओर से सोसाइटी का कार्यालय आदेश सं0–03/2018, दिनांक 11.04.2018 आयोग के समक्ष उपस्थापित किया गया है जिसमें सोसाइटी के उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा परिवादी के दिनांक 05.01.2018 के प्रभाव से उसके त्याग–पत्र को संदर्भित करते हुए परिवादी को जल संसाधन अवयव के योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों/संचिकाओं को एक–दूसरे कार्यालय सहायक श्री रमण जी को सात दिनों के अंदर हस्तांरित करने का आदेश देते हुए उक्त कार्यालय सहायक को दस्तावेजों/संचिकाओं को

मिलान कर उक्त की प्राप्ति की सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी द्वारा उपरोक्त कार्यालय आदेश सं0 03/2018, दिनांक 11.04.2018 के कार्यालय आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। वैसे परिवादी का कथन है कि वह तथा कार्यालय सहायक श्री रमण जी दोनों मिलकर एक साथ जल संसाधन अवयव योजना के क्रियान्वयन के सभी दस्तावेज/संचिका का संधारण करते थे तथा वह अलग से किसी भी संचिका का संधारण नहीं करता था।

यहां यह उल्लेखनीय है कि किए गये कार्य के मानदेय को प्राप्त करना तथा किए गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करना, कर्मी का मानवाधिकार है।

अब जबकि परिवादी ने दिनांक 05.01.2018 के प्रभाव से अपने पद से त्याग–पत्र दे दिया है तो ऐसी परिस्थिति में आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की जाती है :–

1. सोसाइटी के उप निदेशक (प्रशासन) से अनुरोध किया जाता है कि आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर इस तथ्य की जांच करा ली जाय कि परिवादी से सम्बद्ध जल संसाधन अवयव के योजना के क्रियान्वयन से संबंधित कोई दस्तावेज/संचिका कार्यालय में अनुपलब्ध है।

2. यदि जांचोपरान्त यह प्रमाणित होता है कि परिवादी से सम्बद्ध कोई दस्तावेज/कागजात अनुपलब्ध है तो परिवादी के इस आपराधिक कृत्य के लिए उसके विरूद्ध उचित आपराधिक कार्रवाई संस्थित करायी जा सकती है।

3. यदि जांचोपरान्त यह पाया जाता है कि परिवादी से सम्बद्ध कोई दस्तावेज/संचिका अनुपलब्ध नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में दिनांक 01.12.2017 से 04.01.2018 तक के उनके द्वारा किये गये कार्य के मानदेय का भुगतान कर दिया जाय साथ ही साथ सोसाइटी में कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र भी निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

उक्त अनुशंसा का दिनांक 21.12.2020 के पूर्व अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उससे संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन से आयोग को अवगत कराया जाय।

कार्यालय, आज आदेश की प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु उप निदेशक (प्रशासन), बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी, पटना व परिवादीगण को प्रेषित कर दिया जाय।

संचिका दिनांक 24.12.2020 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक